क्रम-संख्या—287

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स न० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 29 नवम्बर, 2005

अग्रहायण 8, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1343/सात-वि-1—1(क)-28-2005

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2005) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2005)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 27-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 27-क में शब्द "प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2005

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 27-क में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्राविधान था कि कोई व्यक्ति, यदि वह संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप प्रमुख अथवा जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने या होने के लिए अनर्ह हो जायगा। उक्त धारा में क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों का उल्लेख नहीं था जिसके कारण क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य होने के पश्चात् भी क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का सदस्य बना रहता था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त सदस्यों को उक्त धारा 27-क की परिधि में लाने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1343/VII-1—1(Ka)-28-2005
Dated Lucknow, November 29, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 29, 2005.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

(U.P. Act No. 25 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sansodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 13, 2005.

Amendment of section 27-A of U.P. Act no. 33 of 1961

2. In section 27-A of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act *for* the words "Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha" wherever occurring, the words "Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha, Upadhyaksha or Member" shall be *substituted*.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 9 of 2005

3. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhyadesh, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 27-A of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961) *inter alia* provided that a person shall be disqualified for being elected as and for being Pramukh, Up-Pramukh of a Kshettra Panchayat or Adhyaksha or Upadhyaksha of a Zila Panchayat if he is a member of Parliament or of a State Legislature. The said section did not mention the members of Kshettra Panchayat and Zila Panchayat due to which a member of a Kshettra Panchayat or a Zila Panchayat continued to be such member even after his becoming the Member of Parliament or of a State Legislature. It was, therefore, decided to amend the said Act to bring the said members in the ambit of the said section 27-A.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sansodhan) Adhyadesh, 2005 (U.P. Ordinance no. 9 of 2005) was promulgated by the Governor on September 13, 2005.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

RAM HARI VIJAI TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1994 राजपत्र (हि०)–2005–(2697)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 110 सा० विधायी–2005–(2698)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।